

भारत सरकार  
कारपोरेट कार्य मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या - 61

(जिसका उत्तर गुरुवार, 05 दिसंबर, 2013/14 अग्रहायण, 1935 (शक) को दिया गया)

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल

61. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

- (क) नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल के कब तक शुरू होने की संभावना है;
- (ख) क्या देश के विभिन्न राज्यों में एन.सी.एल.टी की खंडपीठ स्थापित करने का प्रस्ताव है; और
- (ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  
(श्री सचिन पायलट)

(क) से (ग): कंपनी अधिनियम, 2013 के संगत प्रावधान अभी लागू नहीं हुए हैं। विस्तृत नियम और आवश्यक व्यवस्थाएं की जा रही हैं।

\*\*\*\*\*